समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Monday, 28 September 2026

जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 पास : छोटे अपराधों से राहत, अब सजा नहीं सुधार पर जोर

Sanket Morankar Published on 03 Apr 2026

आम नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए संसद ने **जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026** को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक भारत की कानूनी व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है, जहां अब छोटी-छोटी गलतियों के लिए जेल की सजा के बजाय सुधार और जुर्माने पर अधिक जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल आम लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि न्याय व्यवस्था पर पड़ने वाला अनावश्यक दबाव भी कम होगा।

इस विधेयक के तहत कुल 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इनमें से 700 से अधिक छोटे अपराधों को पूरी तरह से डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी अब वे अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। पहले जिन मामलों में सीधे जेल की सजा का प्रावधान था, अब उनमें चेतावनी या जुर्माने जैसे विकल्प दिए गए हैं।

सबसे बड़ा असर आम लोगों की रोजमर्रा की गतिविधियों पर देखने को मिलेगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस समय पर रिन्यू नहीं हो पाता था, तो वह कानूनी रूप से अपराध माना जाता था और इसके लिए दंड का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब इस विधेयक के तहत लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी 30 दिनों की अतिरिक्त मोहलत दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि मामूली देरी के कारण अब कोई व्यक्ति अपराधी नहीं माना जाएगा।

इसी तरह, राष्ट्रीय राजमार्ग पर विरोध प्रदर्शन के दौरान चक्का जाम करने पर पहले जेल की सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है और इसे केवल जुर्माने तक सीमित कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता भी मिलेगी और कानून का दुरुपयोग भी कम होगा।

इसके अलावा, कई अन्य मामलों में भी राहत दी गई है। जैसे आग लगने का झूठा अलार्म देना, जन्म या मृत्यु की सूचना देने में देरी करना, या बिजली और अन्य छोटे नियमों का उल्लंघन करना—इन सभी मामलों में अब जेल की सजा नहीं होगी। इनकी जगह

जुर्माना या चेतावनी दी जाएगी।

यह विधेयक छोटे कारोबारियों और MSME सेक्टर के लिए भी बड़ी राहत लेकर आया है। पहले जहां कॉस्मेटिक्स या अन्य उत्पादों के नियमों के उल्लंघन पर जेल की सजा का खतरा बना रहता था, अब इन मामलों में केवल आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इससे छोटे व्यापारियों को अनावश्यक कानूनी जटिलताओं से राहत मिलेगी और वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगे।

सरकार का मानना है कि इस कानून से 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बढ़ावा मिलेगा और निवेश का माहौल बेहतर होगा। इसके साथ ही न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या भी कम हो सकती है, क्योंकि छोटे मामलों में अब मुकदमेबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

हालांकि, इस विधेयक को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कानून का डर कम हो सकता है और लोग नियमों को हल्के में लेने लग सकते हैं। उनका कहना है कि यदि सजा का डर नहीं रहेगा, तो कानून का पालन कमजोर पड़ सकता है। वहीं सरकार का तर्क है कि यह बदलाव आधुनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जहां नागरिकों को अपराधी बनाने के बजाय उन्हें सुधारने का अवसर दिया जा रहा है।

इस विधेयक को एक व्यापक सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत की कानूनी प्रणाली को अधिक मानवीय और व्यावहारिक बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। यह न केवल आम लोगों को राहत देगा, बल्कि सरकार और नागरिकों के बीच विश्वास को भी मजबूत करेगा।

कुल मिलाकर, जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2026 केवल एक कानूनी बदलाव नहीं है, बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन का प्रतीक है। यह दिखाता है कि अब सरकार नागरिकों को सजा देने के बजाय उन्हें समझने और सुधारने पर ज्यादा जोर दे रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह बदलाव किस तरह से देश की न्याय व्यवस्था और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.